FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय .... मुकाम ....

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा ..... 111,128 RLR act ..... नं 156/2022 ..... सन ....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.04.22	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री .... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18.05.22 को पेश हो।	
	सहायक कलक्टर (SDO)	
18/05/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया / विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित / न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अभिभाषक उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 30/05/2022 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
[illegible]0/05/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण [illegible] अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत सेढा सेढ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमवंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाडमेर

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : पाद / 2022 / 799 दिनांक 30/05/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. जगराम पुत्र लिछमणाराम, जाति जाट, निवासी सांइयों की ढाणी, पटवार मण्डल रतेऊ, तहसील गिडा (बाडमेर)		1. नाथूराम पुत्र लिछमणाराम वगैरा 12, जाति जाट, निवासी सांइयों की ढाणी, पटवार मण्डल रतेऊ तहसील गिडा (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 156 / 2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – सांईयों की ढाणी, पटवार मण्डल – रतेऊ, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 917 / 775 रकबा 11.2341 हेक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

क्रमांक : पाद / 2022 / 800-804 दिनांक 30/05/2022

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का रतेऊ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकार्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री जगराम पुत्र लिछमणाराम,
4. विप्रार्थी श्री नाथूराम पुत्र लिछमणाराम वगैरा 12,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिडा / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर